

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1970 /आ0प्र0 दिनांक 26-05-2015 द्वारा वर्ष 2003-04 से वर्ष 2014-15 की अवधि तक सहायक अनुदान मद में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं व्यय प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया है।

डी0सी0 विपत्र, उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं व्यय प्रतिवेदन पत्र पर प्रति हस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-346 /आ0प्र0 दिनांक 04-06-2015 द्वारा विभिन्न निकासी एवं व्यय पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। उक्त आदेश में जिला पशुपालन पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं अन्य लाईन कार्यालय से प्राप्त डी0सी0 विपत्र /यू0सी0 /व्यय प्रतिवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु किसी को प्राधिकृत नहीं किया गया था।

अतः उक्त आदेश के क्रम में उपरोक्त कार्यालय से प्राप्त डी0सी0 विपत्र / यू0सी0/व्यय प्रतिवेदन पर प्रति हस्ताक्षर करने हेतु अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को प्राधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी माना जाएगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिलाधिकारी

मधेपुरा

ज्ञापांक361...../आ0 प्र0 मधेपुरा दिनांक ...13.06.2015.....

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज /भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रभारी पदाधिकारी /सभी प्रधान सहायक समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी

मधेपुरा